



# राजस्थान आवासन मण्डल, जयपुर

क्रमांक :- स्टोर/अनु. वाहन/2021-22/122

दिनांक :- 19-1-2022

## कार्यालय आदेश

मण्डल (मुख्यालय) में पदस्थापित अधिकारियों तथा मण्डल कें वृत्त एवं खण्ड कार्यालयों के अधिकारियों के लिए टैक्सी वाहन अनुबन्ध के आधार पर राज्य सरकार के आदेश क्रमांक F2(4)FD/SPFC/2017 दिनांक 19.07.2018, F2(4)FD/SPFC/2017 दिनांक 28.02.2019 एवं संशोधित दरें आदेश क्रमांक F.2(4)FD/SPFC/2017 दिनांक 31.03.2021 की शर्तों व दरों तथा मण्डल की शर्तों व दरों पर माह फरवरी 2021 से 31 जनवरी 2022 तक लगाने हेतु मण्डल के आदेश क्रमांक स्टोर/अनु. वाहन/2020-21/187,188 दिनांक 29.01.2021 तथा समय-समय पर अन्य आदेशों द्वारा लगाने की स्वीकृति प्रदान की गई थी।

जिसकी कार्यावधि दिनांक 31.01.2022 को समाप्त होने जा रही है, अतः मण्डल में विभिन्न आदेशों में संचालित सभी टैक्सी वाहनों की समयावधि दिनांक 31.07.2022 या नई निविदा के तहत टैक्सी वाहन उपलब्ध होने (जो पहले हो) तक बढ़ाई जाती है। जिसकी शर्तों व दरों पूर्व आदेशों के अनुरूप यथावत रहेगी।

उक्त आदेशों को सक्षम स्तर से अनुमोदन प्राप्त है।

—Ho—  
सचिव  
राजस्थान आवासन मण्डल  
जयपुर

## प्रतिलिपि सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु :-

1. निजी सचिव-अध्यक्ष/आवासन आयुक्त/मु.अ.-(मु.)/I/II रा.आ.म. जयपुर।
2. निजी सचिव-सचिव/वि.स. एवं मुख्य लेखाधिकारी, रा.आ.म. जयपुर।
3. मुख्य अभियन्ता.....रा.आ.म. जयपुर।
4. निदेशक विधि/मुख्य सम्पदा प्रबन्धक/उप-सचिव, रा.आ.म. जयपुर।
5. अतिरिक्त मुख्य अभियन्ता, प्रथम/द्वितीय/तृतीय, रा.आ.म. ....।
6. उप आवासन आयुक्त.....रा.आ.म. ....।
7. आवासीय अभियन्ता..... रा.आ.म. ....।
8. समस्त वाहन प्रभारी.....।
9. लेखाधिकारी (भुगतान) रा.आ.म. जयपुर।
10. रक्षित पत्रावली।

24  
सचिव  
राजस्थान आवासन मण्डल